न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. **अपील संख्या 66/16** निर्णय दिनांकः- 6-11-17

1. रामेश्वरलाल पुत्र स्व. लखूराम जाति ब्राहमण निवासी करणीमाता मंदिर के पास वाली गली, नया बस स्टेण्ड, गंगाशहर, बीकानेर।
2. किशनलाल पुत्र स्व. लखूराम जाति ब्राहमण निवासी करणीमाता मंदिर के पास वाली गली, नया बस स्टेण्ड, गंगाशहर, बीकानेर।

अपीलांट्स

—बनाम—

1. मदनलाल पुत्र लखूराम जाति ब्राहमण निवासी हनुमत हैप्पी होम स्कूल के पीछे, मालू चौक, नोखा जिला बीकानेर।
2. शिवरतन पुत्र स्व. लखूराम जाति ब्राहमण निवासी टाटा टॉवर के सामने, गौतम चौक, नई लाईन गंगाशहर, बीकानेर।
3. हवादेवी पुत्री स्व. लखूराम पत्नी श्री मोहनलाल जाजड़ा जाति ब्राहमण निवासी उदासर, बीकानेर
4. लीलादेवी पुत्री स्व. लखूराम पत्नी लक्ष्मीनारायण जी पंचारिया जाति ब्राहमण निवासी विद्या विहार स्कूल के पास वाली गली, नया बस स्टेण्ड, गंगाशहर, बीकानेर
5. सीतादेवी पुत्री स्व. लखूराम पत्नी जगदीश प्रसाद पंचारिया जाति ब्राहमण निवासी भेड़िया दफतर के सामने, पंचारिया चौक, नोखा बीकानेर।
6. सीकर देवी पुत्री स्वत्र लखूराम पत्नी आसूराम जाति पंचारिया जाति ब्राहमण निवासी चौपड़ा बाड़ी, गंगाशहर, बीकानेर।
7. छोटादेवी पुत्री स्व. लखूराम पत्नी रामूराम पंचारिया जाति ब्राहमण निवासी ललवाणी बास टॉटा टॉवर के पास, गौतम चौक, नाई लाईन गंगाशहर, बीकानेर।
8. मुन्नीदेवी पुत्री स्व. लखूराम पत्नी मनोज कुमार जोशी जाति ब्राहमण निवासी धोरों का बास, गंगाशहर, बीकानेर
9. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

2. **अपील संख्या 67/16**

1. रामेश्वरलाल पुत्र स्व. लखूराम जाति ब्राहमण निवासी करणीमाता मंदिर के पास वाली गली, नया बस स्टेण्ड, गंगाशहर, बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

2. किशनलाल पुत्र स्व. लखूराम जाति ब्राहमण निवासी करणीमाता मंदिर के पास वाली गली, नया बस स्टेण्ड, गंगाशहर, बीकानेर।

अपीलांट्स

—बनाम—

1. मदनलाल पुत्र लखूराम जाति ब्राहमण निवासी हनुमत हैप्पी होम स्कूल के पीछे, मालू चौक, नोखा जिला बीकानेर।
2. शिवरतन पुत्र स्व. लखूराम जाति ब्राहमण निवासी टाटा टॉवर के सामने, गौतम चौक, नई लाईन गंगाशहर, बीकानेर।
3. हवादेवी पुत्री स्व. लखूराम पत्नी श्री मोहनलाल जाजड़ा जाति ब्राहमण निवासी उदासर, बीकानेर
4. लीलादेवी पुत्री स्व. लखूराम पत्नी लक्ष्मीनारायण जी पंचारिया जाति ब्राहमण निवासी विद्या विहार स्कूल के पास वाली गली, नया बस स्टेण्ड, गंगाशहर, बीकानेर
5. सीतादेवी पुत्री स्व. लखूराम पत्नी जगदीश प्रसाद पंचारिया जाति ब्राहमण निवासी भेड़िया दफतर के सामने, पंचारिया चौक, नोखा बीकानेर।
6. सीकर देवी पुत्री स्वत्र लखूराम पत्नी आसूराम जाति पंचारिया जाति ब्राहमण निवासी चौपड़ा बाड़ी, गंगाशहर, बीकानेर।
7. छोटादेवी पुत्री स्व. लखूराम पत्नी रामूराम पंचारिया जाति ब्राहमण निवासी ललवाणी बास टॉटा टॉवर के पास, गौतम चौक, नाई लाईन गंगाशहर, बीकानेर।
8. मुन्नीदेवी पुत्री स्व. लखूराम पत्नी मनोज कुमार जोशी जाति ब्राहमण निवासी धोरों का बास, गंगाशहर, बीकानेर
9. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 10—09—2014
व दिनांक 08—12—2014
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः—

1. श्री प्रेम प्रकाश मदान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुनील चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8
4. श्री नन्दराम कासॅनिया, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उपरोक्त दोनों अपीलें उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 10—09—2014 व दिनांक 08—12—2014 के विरूद्व पेश की है, जिसके द्वारा विधि विरूद्व जाकर अपीलांटान को सुरे बिना एकतरफा तौर पर अंतिम डिक्री जारी कर दी गई, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक—एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने दोनों अपीलों में बहस करते हुए बताया कि जैर अपील रकबा वाके रोही चक 4 सी.एस.डी क मुरब्बा नम्बर 102/61 के किला नम्बर 16, 17, 24, 25 में 4 बीघा भूमि व मुरब्बा नम्बर 122/5 के किला नम्बर 3 ता 25 के 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्व. लखूराम के नाम खातेदारी भूमि रही है। लखूराम जी का स्वर्गवास हो चुका है। स्व. लखूराम के वारिसान अपीलांटान व रेस्पोडेन्ट्स है। कानूनन हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत 27—12—2004 से पूर्व यदि माता व पिता का स्वर्गवास हो जाता है तो उसमें लड़कियों का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। प्रकरण में ना तो अपीलांटान को नोटिस तामील हुए, नाही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। मामलें में बाला—बाला डिक्री पारित करवा ली गई। जबकि यह एक अहम कानूनी बिन्दु है, जिसे तय किया जाना आवश्यक है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत की फर्द अहकाम दिनांक 12–09–2012 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अपीलांटान को कोई तामील नहीं हुई है। तामील पुत्रों पर होनी बताई गई है। जबकि अपीलांटान के पुत्र अलग रहते है। जिनका उक्त मामलें से कोई लेना–देना नहीं है। अपीलांटान अलग निवास करते है। इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही विधि विरूद्व की गई है। जबकि विधि का स्पष्ट रूप से सिद्वान्त है तथा मननीय उच्चतम न्यायालय का भी मत है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुना जाना आवश्यक है। लेकिन इस मामलें में अपीलांटान को सुनना तो दूर नोटिस तक नहीं दिया गया।

प्रकरण मे अदालत मातहत द्वारा मुरब्बा नम्बर 102/61 की भूमि किला नम्बर 16, 17, 24, 25 में 4 बीघा भूमि जो चक 4 सीएचडी जो मुख्य सड़क के पीछे है उक्त आराजी अपीलांट संख्या 1 को 1 बीघा 3 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 122/5 के किला नम्बर 3 ता 25 में से 1 बीघा 6 बिस्वा व अपीलांट संख्या 2 को मुरब्बा नम्बर 102/61 में 1 बीघा 9 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 122/5 में 1 बीघा अर्थात 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि दी गई। जबकि मुरब्बा नम्बर 122/5 की 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि मुख्य सड़क पर स्थित है। जिसकी कीमत लाखों रूपये बीघा की है। मुरब्बा नम्बर 102/61 की भूमि सड़क से काफी पीछे है। रेस्पोडेन्ट ने मुरब्बा नम्बर 122/5 की मुख्य सड़क वाली भूमि पटवारी हल्का सेमिलकर अपने नाम प्रस्ताव पारित करवा लिये,तथा अपीलांट को पीछे धकेल दिया।

रेस्पोडेन्ट अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांटान को बेदखल करने पर अमादा है। जबकि अपीलांटान स्व. लखूराम के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 8 का इस भूमि से कोई लेना देना नहीं है तथा इस भूमि में कोई कानूनी हक व हिस्सा नहीं है। अदालत मातहत द्वारा फिर भी उन्हें मुख्य रोड़ की भूमि देकर और उनके नाम रिकार्ड में चढ़ा कर कानूनी भूल की है। जबकि कानूनन विभाजन बराबर बराबर मुख्य रोड़ का होना चाहिए तथा पीछे की जमीन का भी बराबर बंटवारा होना चाहिए था। लेकिन रेस्पोडेन्ट ने पटवारी हल्का से मिलकर विभाजन के प्रस्ताव पारित करवा कर मुख्य सड़क की भूमि की डिक्री पारित करवा ली गई। जबकि न्याय का यह सिद्वान्त है कि न्यायालय सभी

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करना चाहिए। अदालत मातहत द्वारा अपीलांटान को सुने बगैर मुख्य सड़क की भूमि पटवारी हल्का के प्रस्ताव के आधार पर रेस्पोडेन्ट के नाम करने के आदेश पारित कर दिये जो विधि विरूद्व है। अतः अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 10—09—2014 व 08—12—2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे सभी पक्षों को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांटान को बिना सुने पारित किया गया है। क्योकि अपीलांटान पर कोई तामील नहीं हुई है। बाला—बाला तौर पर डिक्री पारित की गई है। इसलिए इल्म से पूर्व का समय कण्डोन फरमाया जाकर अपील अंदर मियांद शुमार फरमाई जावे। अतः एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2003 पार्ट II पेज 775, डीएनजे (एससी) 2002 पेज 67, डीएनजे (एससी) 2015 पेज 592, आरएलडब्ल्यू 2016 पार्ट II पेज 1337, डीएनजे 2012 पार्ट II पेज 1157, डीएनजे 2001 (एससी) पेज 103, डीएनजे 2014 पार्ट III पेज 1136 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी एक संयुक्त खातेदारी भूमि रही है जिसमें रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 मदनलाल द्वारा विभाजन का दावा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि वादगत् आराजी वाके रोही चक 4 सी.एस.डी क मुरब्बा नम्बर 102/61 के किला नम्बर 16, 17, 24, 25 में 4 बीघा भूमि व मुरब्बा नम्बर 122/5 के किला नम्बर 3 ता 25 के 20 बीघा 12 बिस्वा कुल 24 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्व. लखूराम के नाम खातेदारी भूमि रही है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का बराबर हक व हिस्सा बनता है। अदालत मातहत द्वारा सभी प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 2 व 4 ता 9 की और से अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की तामील उनके पुत्रों पर होने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। अदालत मातहत के समक्ष शेष प्रतिवादीगण ने इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा सभी मुताबिक वाद व रिकार्ड के प्राथमिक डिक्री बाबत् खाता विभाजन इस आश्य के साथ जारी की जाती है कि अच्छी से अच्छी व मन्दी से मन्दी भूमि के राजस्व रिकार्ड अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश दिनांक 31—10—2012 को पारित किये गये।

अदालत मातहत के आदेश दिनांक 31—10—2012 की पालना मे तहसीलदार छत्तरगढ़ द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 ता 9 की उपस्थिति में विभाजान प्रस्ताव पर सुना गया। अदालत मातहत के समक्ष किसी भी पक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। तदुपरान्त अदालत मातहत द्वारा मुताबिक प्रस्ताव दिनांक 10—09—2014 को विभाजन की अंतिम डिक्री सभी पक्षों को सुनकर पारित की गई है। वादगत् आराजी के नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों को विभाजन में अच्छी से अच्छी व मन्दी से मन्दी भूमि का विभाजन किया है। इसलिए अपीलांटान का यह कथन कि उन्हें मुख्य सड़क से पीछे की भूमि दी गई है स्वीकार योग्य नहीं है। जहॉ तक क्रास अपील का प्रश्न है, अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित थे। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत क्रास अपील व अपीलांटान की अपील खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 ने अपन कथन के समर्थन में आरआरडी 1978 पेज 638, आरआरटी 2017 पार्ट I पेज 610 व आरआरडी 1996 पेज 164 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में विवादित आराजी वादगत् आराजी वाके रोही चक 4 सी.एस.डी क मुरब्बा नम्बर 102/61 के किला नम्बर 16, 17, 24, 25 में 4 बीघा भूमि व मुरब्बा नम्बर 122/5 के किला नम्बर 3 ता 25 के 20 बीघा 12 बिस्वा कुल 24 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्व. लखूराम के नाम खातेदारी भूमि रही है। जिसके विभाजन का दावा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 31—10—2012 को प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से विभाजन

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 10—09—2014 को अंतिम डिक्री पारित की गई है।

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट(एसआईसी नियम) के नियम 18—21 के अनुसार अंतिम डिक्री तैयार करने हेतु प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। एक विभाजन वाद में अंतिम डिक्री राजस्थान अभिवृति(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18—22 में दी गई प्रक्रिया के अनुसरण करते हुए पारित की जाती है।

जिसमें पक्षकारों को नोटिस व सुनवाई आवश्यक है ताकि सभी पक्षकारों के हितों के अनुरूप भूमि में अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का सभी पक्षों में समान रूप से विभाजन हो सके।

अंतिम डिक्री पारित करते समय वाद प्रश्न, बनाने या पक्षकार का साक्ष्य लेने हेतु अग्रसर होना आवश्यक नहीं है। विभाजन वादों में प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री दोनों की अपील की जा सकती है।

यदि प्रश्न यह है कि प्रारम्भिक डिक्री पारित करते समय पक्षकारों को नोटिस नहीं दिये व कुछ पक्षकारों के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है तोा उसे तत्समय अपील में चुनौती दी जानी चाहिए थी।

नियम 18 से 20 में स्पष्ट रूप से धारा 53 के अधीन कृषि जोत के विभाजन के लिये वाद में प्रारम्भिक डिक्री पारित करने की वांछनियता को बताते है। केवल एक खसरे या खेत के विभाजन के मामलें में उसे केवल एक अंतिम डिक्री द्वारा निपटाया जा सकता है। परन्तु जहॉ विशाल जोत या कई खसरे हों तो नियम 18—20 के सिद्वान्तों का अनुसरण करना आवश्यक है।

प्रस्तुत मामलें में केवल एक खेत का विभाजन पक्षकारों के बीच हुआ है। जिसमें खेत की सीमा से लगी सड़क की भूमि मूल्यवान समझी गई है एवं विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में इस तथ्य को ध्यान में रखा है, जिसमे सड़क की और की मूल्यवान तात्पर्यित भूमि का यथासम्भव सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए समान रूप से विभाजन का प्रयास किया जाना स्पष्ट है। जैसा कि विभाजन के प्रस्ताव एवं भूमि के विभाजन के नजरी नक्शा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

एवं उसमें प्रत्येक सह अभिधारी के हिस्से के अनुसार नाम का अंकन करते हुए वास्तविक विभाजन मौके पर भूखण्डों के हिस्सेनुसार अंकन करने में कोई भूल नहीं की है।

प्रस्तुत मामलें में अपील में प्रति अपील उन पक्षकारों द्वारा की गई है जो अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित व उपसंजात पक्षकार रहे है। जिसका कोई सारभूत औचित्य उन्होंने व्यक्त नहीं किया है। हालांकि वे अधिनस्थ न्यायालय में इस तथ्य को बावजूद उपसंजाति के रेखांकित नहीं किया है।

पूरे प्रकरण को दृष्टिपात करने से यह प्रश्न उठाया गया व आक्षेपित किया गया है कि पक्षकारों में पैतृक सम्पति में पुत्रियों का हक व हिस्सा नहीं है व उनका विभाजन के वाद में कोई हक नहीं बनता है। निश्चय की यह प्रश्न अधिनस्थ न्यायालय में नहीं उठाया गया ना ही इस आश्य का विवाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेखांकित किया गया है।

यह प्रश्न मुलतः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शासित व निर्णित होना है जिसकी प्रवृति नितान्त भिन्न है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम केवल सहदायिकी सम्पति के न्यागमन पर लागू होता है यह राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 53 के अधीन सह अभिधारियों के मध्य कृषिजोत विभाजन (पार्टिशन) को प्रभावित नहीं करता है। लिहाजा इस अपील में स्त्री (पुत्रियों) के अधिकार का या उत्तराधिकर व सहदायिकी सम्पति में उसके हक को चुनौती देना विभाजन के वाद में सहकाश्तकार रिकार्डेड खातेदार के रूप में दर्ज स्त्री(पुत्रियों) के हक से वंचित करने का आश्य तात्पर्यित होता है जो नितान्त सारहीन है क्योंकि इस मामलें में पुत्रियों का हक खातेदार के रूप मे संरक्षित व सुनिश्चित है। जिसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है।

विभाजन के वाद में पक्षकारों के बीच असहमति होती है तो न्यायालय का दायित्व है कि वह स्वविवेक से खातेदारों के बीच विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का समान रूप से यथा सम्भव सहमति से एवं स्वविवेक से पारित करें। प्रस्तुत वाद में अनुपस्थित पक्षकार बावजूद नोटिस नहीं आये – शेष अपना प्रतिनिधित्व जरिये वकील किया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पक्षकारों का दायित्व है कि वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, अन्यथा न्यायालय अंतहीन रूप से उनका इंतजार नहीं करेगा व शेष पक्षकारों के हित में न्यायहेतु अग्रसर हो सकेगा। समग्रत यह विचारणीय है कि न्यायालय ने अपने विवेकानुसार सारभूत निर्णय किया है या नहीं? प्रस्तुत विवाद में पक्षकार रिकार्डेड खातेदार है व विभाजन के हकदार है।

न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री एवं विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेक से भूमि का by meet and bound औचित्यपूर्ण विभाजन स्वीकार किया है। स्वयं वादी द्वारा अपील न्यायालय में काऊन्टर अपील द्वारा प्रस्तुत होकर उक्त विभाजन को चुनौती देना सारहीन व औचित्यहीन है।

अदालत मातहत द्वारा रिकार्डेड खातेदारों एवं भाईयों व बहिनों के बीच सड़क के किनारे की भूमि मूल्यवान भूमि के समान रूप से विभाजन करने में कोई कानूनी गलती नहीं की है एवं उसे अपील न्यायालय में तकनीकी पहलूओं में उलझा कर चुनौती देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 10—09—2014 व 08—12—2014 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 6-11-17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर